

भाग-III

तोली मोटर मार्ग किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग निर्माण – 09.934 किमी0

प्रस्ताव संख्या (9315/2015)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। प्रस्तावित 9.934 किमी0 की लम्बाई में कुल 52 बॉज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अलग से कोई निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 13.01.2015 एवं 24.03.2015 के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जा रही है।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	ऑन-लाइन प्रस्ताव के हॉर्ड- कॉपी में सम्बन्धित वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 2335/12-1 दिनांक 17.03.2015 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सम्बन्धित पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था। इस कार्यालय की आपत्ति के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 3539/12-1 दिनांक 11.05.2015 एवं 3647/12-1 दिनांक 14.05.2014 से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति एवं पार्ट- II में सूचित वृक्षों के 31-60 सेमी0 व्यास वर्ग के वृक्षों के सम्बन्ध में संशोधित सूची संलग्न की जा रही है (संलग्न-1 से 4)।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:- 15.05.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfobag-forest-uk@nic-in/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फ़ैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक 3539
सेवा में,

/ 12-1-2

बागेश्वर

दिनांक : 11 / 65 / 2015।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- तोली मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव सं० 9315-2015) के संबंध में।
संदर्भ - आपका पत्रांक-2335/12-1 दिनांक 17.04.2015।

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम पर आपके द्वारा विषयगत मोटर मार्ग निर्माण के संबंध में मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली वन पंचायत समिति का नाम एवं उनका अनापत्ति प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में संलग्न न होना सूचित किया गया था। इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.कपकोट को अवगत कराने पर उनके द्वारा विषयगत मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित तोली वन पंचायत समिति का अनापत्ति प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिसे संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(एम०बी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

वन पंचायत की आम बैठक / अनापत्ति प्रमाण पत्र

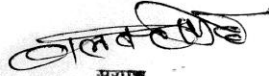
आज दिनांक - 15 मई 2014 को वन पंचायत समिति - तोली की

सब आम बैठक आयोजित की गई, बैठक में उपस्थित सभी ग्राम मुखिया योजना के अंतर्गत उद्घाटित कपकोट स्की मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग पर बिछार लगे जाने की गई

वन पंचायत समिति द्वारा सर्वेक्षण से निर्णय लिया गया कि वन पंचायत समिति को उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में वन पंचायत के अंतर्गत आने वाली भूमि में सड़क निर्माण दिशे जाने पर वन पंचायत - समिति को कोई आपत्ति नहीं है,

सदस्य वन पंचायत तोली

- 1) कामला
- 2) [Signature]
- 3) C.S. 7
- 4) उपस्थित
- 5) तोली
- 6) [Signature]
- 7) [Signature]
- 8) दीपा


सरपंच
वन पंचायत तोली पो- कुलवाड़ी
वि० नं० कपकोट (बागेश्वर)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfobag-forest-uk@nic-in/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं०:- 05963-220249 फ़ैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक 3647 / 12-1-2 बागेश्वर
सेवा में,

दिनांक : 14/05/2015।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- तोली मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव (प्रस्ताव सं० 9315-2015) के संबंध में।
संदर्भ - आपका पत्रांक-2335/12-1 दिनांक 17.04.2015।

महोदय,

उक्त विषयक कम पर आपको अवगत कराया जाना है कि विषयगत मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों के संबंध में पूर्व में इस कार्यालय से आन लाइन करते समय त्रुटिवश 31-60 Cm (10-20 वर्ग से०मी० व्यास) के 38 वृक्षों को नहीं दर्शाया गया है। जिसे संशोधित करते हुये 31-60 Cm के 38 वृक्षों को जोड़ते हुये संशोधित सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतएव संशोधित सूचना को शामिल करते हुये प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(एम०बी० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

State Serial No. of proposal : UK-048/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

(i)

State / Union Territory : Uttarakhand

(ii)

District : Bageshwar

(iii)

Forest Division : Bageshwar

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (In ha.) : 4.9148

(v)

Category : Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Bageshwar	0.8064	Protected Forest
2	Bageshwar	3.7324	Civil Soyam land

Division 1. : Bageshwar

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Bageshwar	4.9148

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(ii)

Density of vegetation

S. No.	Area(In ha.)	Density	Eco-Class
1	4.9148	0.3	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	Chir	—	19	19	6	3
2	Alnus Nepalensis	Utesh	10	29	3	5	1
3	Toona ciliata	Dal	02	8			
4	Quercus leucotricophora		05	30	11	6	
5	Tooni Cedrela	Tun	—	1			
6	Cudrania javanensis	Shuraye	17	1			
7	Prunus Cerasoides	Padam	02	2		1	
8	Machilus duthiei	Koula	02	—	4	1	
9	Juglan Regia	Akhorat	—	—		1	

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : No Data